

**(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)**

Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Education/Siksha Mantralaya  
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag  
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi  
Dated: 17<sup>th</sup> June, 2025

**NOTIFICATION**

**No. 9-2/2024-U.3(A): Whereas**, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas**, an online application was submitted by Public Health Foundation of India Society (PHFI Society), Delhi on the UGC's Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category to PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad, Telangana along with four constituent units at Delhi, Shillong, Bhubaneswar & Bengaluru under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. **And whereas**, UGC, vide its letter no. 41-1/2023 (CPP-I/DU) dated 16.02.2024, informed that the application was examined through its Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Committee recommended for issuance of letter of Intent (LoI) for fulfilment of certain conditions before granting of Institution deemed to be University status to PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad, Telangana. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 577<sup>th</sup> meeting (Item No. 2.09) held on 13.02.2024.

4. **And whereas**, considering the advice of UGC, the Ministry, vide letter dated 11.03.2024, issued Letter of Intent to Public Health Foundation of India for fulfilment of the certain conditions within a period of 3 years before conferment of Institution Deemed to be University status under distinct category to PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad, Telangana along with constituent units.

5. **And further whereas**, the Public Health Foundation of India submitted compliance report for fulfilment of the conditions of the LoI. The compliance report was forwarded to UGC for its verification and advice. Now, UGC vide its letter No. 41-1/2023(CPP-I/DU) dated 10.06.2025, informed that the compliance report was examined and verified through an Expert Committee. The Committee recommended for grant of Institution deemed to be University status to PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad, Telangana along with two constituent units at Bengaluru and Bhubaneswar only. The Committee did not recommend Shillong and Delhi Campus as constituent units of the proposed deemed to be University. The

recommendations of the Committee were considered and approved by the Commission in its 590th meeting (Item No. 2.05) held on 14.05.2025.

6. **Now, therefore**, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad, Telangana along with two constituent units at Bengaluru and Bhubaneswar as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- ii. All the moveable and immoveable assets should be either in the name of the deemed to be University or PHFI Society.
- iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iv. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- v. The academic programmes to be offered at PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vi. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall align its courses with National Education Policy-2020.
- vii. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall provide degrees only in accordance with the UGC (Specification of Degrees) 2014.
- viii. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ix. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad.
- x. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- xi. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

- xii. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xiii. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.



(Armstrong Pame)

Joint Secretary to the Government of India  
Tel: +91 11 2307 1486

The Manager,  
Government of India Press,  
Minto Road, New Delhi - 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Secretary, Public Health Foundation of India, Saidulajab Village, 4<sup>th</sup> Floor, House No.60, Part of Saidulajab Extn, New Delhi-110030.
3. The Director, PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad, Telangana.
4. The Secretary, Department of Higher & Technical Education, Government of Telangana.
5. The Secretary, Department of Higher & Technical Education, Government of Odisha, Bhubaneswar.
6. The Secretary, Department of Higher & Technical Education, Government of Karnataka, Bengaluru, Karnataka.
7. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
8. The Secretary, National Medical Commission, Pocket - 14, Sector - 8, Dwarka Phase - 1, New Delhi - 110077.
9. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
11. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
12. Guard file / Notification file.



(Jyoti Ranjan)

Under Secretary to the Government of India  
Tel: +91 11 2338 1578

(भारत के राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग  
(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 17 जून, 2025

**अधिसूचना**

**सं.9-2/2024-यू.3(ए): जबकि**, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. **और जबकि**, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया सोसाइटी (पीएचएफआई सोसाइटी), दिल्ली द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद, तेलंगाना के साथ-साथ दिल्ली, शिलांग, भुवनेश्वर और बेंगलुरु में चार घटक इकाइयों को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने के लिए यूजीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 16.02.2024 के अपने पत्र संख्या 41-1/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। समिति ने पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद, तेलंगाना को सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग ने दिनांक 13.02.2024 को हुई अपनी 577वीं बैठक (मद संख्या 2.09) में विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

4. **और जबकि**, यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, मंत्रालय ने दिनांक 11.03.2024 के पत्र के माध्यम से पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद, तेलंगाना को घटक इकाइयों के साथ विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र जारी किया।

5. **और आगे, जबकि** पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एलओआई की शर्तों को पूरा करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुपालन रिपोर्ट को सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को


भेज दिया गया था। अब, यूजीसी ने दिनांक 10.06.2025 के अपने पत्र संख्या 41-1/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट की जांच और सत्यापन एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से किया गया था। समिति ने पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद, तेलंगाना को केवल बेंगलुरु और भुवनेश्वर में दो घटक इकाइयों के साथ सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश की। समिति ने प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय की घटक इकाइयों के रूप में शिलांग और दिल्ली परिसर की सिफारिश नहीं की। समिति की सिफारिशों पर आयोग ने दिनांक 14.05.2025 को हुई अपनी 590वीं बैठक (मद संख्या 2.05) में विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

6. **अब, इसलिए,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद द्वारा पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद, तेलंगाना को बेंगलुरु और भुवनेश्वर में दो घटक इकाइयों के साथ एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- i. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचन पत्रों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- ii. सभी चल और अचल संपत्तियां या तो सम विश्वविद्यालय या पीएचएफआई सोसायटी के नाम पर होनी चाहिए।
- iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय/या इसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्ति या धन/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iv. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- v. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vi. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- vii. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद केवल यूजीसी (डिग्रियों का विनिर्देशन) 2014 के अनुसार डिग्री प्रदान करेगा।
- viii. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद को समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन के लिए सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों का मूल्यांकन करवाने और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।
- ix. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के

मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

- x. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार यूजीसी को एमओए प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित या परिवर्तित करेगा।
- xi. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xii. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xiii. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दे।



(आर्मस्ट्रॉंग पामे)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: +91 11 2307 1486

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,  
मिंटो रोड, नई दिल्ली -110002

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
2. सचिव, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सैदुलाजब गांव, चौथी मंजिल, हाउस नंबर 60, सैदुलाजब एक्सटेंशन का हिस्सा, नई दिल्ली-110030
3. निदेशक, पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद, तेलंगाना
4. सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, तेलंगाना सरकार
5. सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर
6. सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु, कर्नाटक
7. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

8. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110077
9. पत्र सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
10. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
11. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को कृपया विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए
12. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल



(ज्योति रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: +91 11 2338 1578